

**न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, आमला, जिला बैतूल**  
**(पीठासीन अधिकारी – श्रीमती मीना शाह)**

व्य.वाद. क्रमांक:- 62ए/16

संस्थापन दिनांक:- 25.09.2012

फाईलिंग नं. 233504000072012

**1. मोहन पिता साजूराम खपरिये (मृत)**

**द्वारा विधिक वारसान**

1. गुलसियाबाई बेवा मोहन, उम्र 75 वर्ष
2. पंजाबराव पिता मोहन, उम्र 55 वर्ष
3. भीमराव पिता मोहन, उम्र 53 वर्ष
4. अमरलाल पिता मोहन, उम्र 50 वर्ष
5. कौशीबाई पिता मोहन, उम्र 45 वर्ष
6. लीलाबाई पिता मोहन, उम्र 44 वर्ष
7. कलाबाई पिता मोहन, उम्र 40 वर्ष
8. रामकलीबाई पिता मोहन, उम्र 38 वर्ष

सभी निवासी सेन्द्रया, पोस्ट छिंदी,  
तहसील मुलताई जिला बैतूल (म.प्र.)

2. छोटेला पिता मोहन खपरिये, उम्र 36 वर्ष  
निवासी सेन्द्रया, पोस्ट छिंदी,  
तहसील मुलताई जिला बैतूल (म.प्र.)

.....वादीगण

**वि रू द्ध**

1. आनंदराव पिता साजूराम खपरिये, उम्र 67 वर्ष  
निवासी सेन्द्रया, पोस्ट छिंदी,  
तहसील मुलताई जिला बैतूल (म.प्र.)
2. गुलसिया उर्फ तुलसियाबाई पुत्री साजूराम पति रेवजी डहारे  
उम्र 70 वर्ष, निवासी रिधोरा,  
तहसील मुलताई जिला बैतूल (म.प्र.)
3. चैत्या पिता आनंदराव, उम्र 42 वर्ष
4. कैलाश पिता आनंदराव, उम्र 35 वर्ष
5. नान्हूलाल पिता आनंदराव, उम्र 32 वर्ष
6. नत्थू पिता सुंदरलाल, उम्र 42 वर्ष
7. सावनीबाई पिता सुंदरलाल, उम्र 50 वर्ष  
क्र. 3 से 7 निवासी सेन्द्रया, पोस्ट छिंदी,  
तहसील मुलताई जिला बैतूल (म.प्र.)

8. नान्हीबाई पिता साजूराम, पति कल्लूराम गिरहारे,  
उम्र 60 वर्ष, निवासी परतापुर, पोस्ट साईंखण्डारा,  
तहसील बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.)
9. मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा कलेक्टर  
जिला बैतूल (म.प्र.)

.....प्रतिवादीगण

—: ( आदेश ) :—

(आज दिनांक 03.07.2017 को पारित)

1 इस आदेश द्वारा वादीगण की ओर प्रस्तुत आवेदन क्रमांक—1 अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सहपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का निराकरण किया जा रहा है।

2 आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी क्र. 01 मोहन एवं गिरजाबाई की स्वअर्जित संपत्ति खसरा नंबर 407 रकबा 1.983 हे. ग्राम सिरकुण्ड में स्थित है, जो कि गिरजाबाई एवं वादी मोहन के नाम पर शामिलाली दर्ज थी। गिरजाबाई की मृत्यु उपरांत उसके उत्तराधिकारियों/प्रतिवादीगण का नाम विवादित संपत्ति खसरा नंबर 407 पर आवेदक/वादी मोहन के साथ-साथ दर्ज हो गया। चूंकि विवादित संपत्ति खसरा नंबर 407 के आधे भाग का स्वामी वादी मोहन है तथा शेष आधे भाग पर ही गिरजाबाई के उत्तराधिकारियों का स्वत्व है, परंतु इसके बाद भी प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 ने विवादित संपत्ति को विधिवत् विभाजन किए बिना ही राजस्व दस्तावेजों में नाम दर्ज होने का लाभ लेकर खसरा नंबर 407 रकबा 1.983 में का 0.791 हे. विक्रय पत्र दिनांक 16.07.2012 के द्वारा प्रतिवादी क्र. 03, 04, 05 को विक्रय कर दिया, जबकि प्रतिवादी क्र. 01 एवं 02 को इतने अंश के विक्रय का अधिकार ही नहीं था। प्रतिवादीगण नाम दर्ज होने के आधार पर वादीगण को यह धमकी दे रहे हैं कि हम आगे भी जमीन का विक्रय कर देंगे। यदि प्रतिवादीगण ऐसा करते हैं तो वादी को अपने भूमि के उपयोग एवं उपभोग से वंचित होना पड़ेगा और उसे अत्याधिक क्षति होगी। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं क्षतिपूर्ति का सिद्धांत वादीगण के पक्ष में है। अतः आवेदन स्वीकार कर प्रतिवादीगण को वादीगण के आधिपत्य में हस्तक्षेप से तथा अन्यथा अंतरण से निषेधित किया जाए।

3 प्रतिवादी क्र. 01 से 05 के द्वारा उपर्युक्त आवेदन का संयुक्त रूप से लिखित में जवाब पेश कर यह लेख किया गया कि विवादित भूमि खसरा नंबर 407 रकबा 1.983 हे. गिरजाबाई एवं वादी मोहन की स्वअर्जित संपत्ति नहीं है। गिरजाबाई की मृत्यु के उपरांत उत्तराधिकारी के रूप में उनका नाम विवादित भूमि पर दर्ज हुआ तथा विवादित भूमि के आपसी विभाजन में मात्र 0.

396 हे. ही भूमि प्राप्त हुई थी। प्रतिवादीगण ने अपने अंश का ही विक्रय किया है और उसका उन्हें अधिकार भी है। वादी का मात्र 0.396 हे. पर ही आधिपत्य है। तथा प्रतिवादीगण के द्वारा उसके आधिपत्य में कोई दखल नहीं दिया जा रहा है। असत्य आधारों पर वादी के द्वारा आवेदन पेश किया गया है, जिसे खारिज किया जाए।

4 प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादीगण उपर्युक्त आवेदन का जवाब प्रस्तुत करने के उपरांत आगामी कार्यवाहियों में अनुपस्थित हो गए थे, जिसके कारण उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

5 आवेदन के निराकरण हेतु न्यायालय में समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु है :-

1. क्या वादीगण के पक्ष प्रथम दृष्टया मामला है ?
2. क्या सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में किया ?
3. क्या आवेदन निरस्त किए जाने से वादीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी ?

### निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार

#### विचारणीय प्रश्न क. 1 का निराकरण

6 वादी मोहन ने अपने आवेदन के माध्यम से विवादित भूमि ख. नं. 407 को अपने एवं गिरजाबाई की स्वअर्जित संपत्ति होना बताया है। साथ ही आवेदन में यह भी लेख किया है कि ख. नं. 407 के आधे भाग का वह स्वामी है और शेष आधे भाग पर गिरजाबाई की मृत्यु उपरांत उसके उत्तराधिकारी अर्थात् प्रतिवादीगण स्वामी है। जबकि प्रतिवादीगण ने विवादित भूमि को पैतृक संपत्ति होने का अपने जवाब दावा में अभिवचन किया है। साथ ही विवादित भूमि वादी के साथ-साथ सबके नाम पर आना अपने आवेदन में लेख किया है।

7 वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज खसरा पंचसाला वर्ष 2011-12 के अवलोकन से विवादित भूमि ख. नं. 407 वादी मोहन एवं गिरजाबाई के नाम पर दर्ज होना एवं गिरजाबाई की मृत्यु उपरांत वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम पर आना प्रकट होती है। नामांतरण पंजी के अवलोकन से भी विवादित भूमि गिरजाबाई की मृत्यु उपरांत उसके पुत्र वादी मोहन अन्य पुत्र प्रतिवादी आनंदराव एवं पुत्री गुलसिया के नाम पर आना प्रकट होती है। किशतबंदी खतौनी एवं खसरा वर्ष 2011-12 के अवलोकन से विवादित भूमि ख.नं. 407 वादी एवं

प्रतिवादीगण के नाम पर संयुक्त रूप से दर्ज होना प्रकट हो रही है। दस्तावेज विक्रय पत्र दिनांक 16.07.2012 के अवलोकन से प्रतिवादी आनंदराव द्वारा प्रतिवादी क्र. 03, 04, 05 के नाम पर विवादित भूमि ख. नं. 407 रकबा 1.983 में से रकबा 0.396 का विक्रय किया जाना प्रकट हो रहा है।

8 वादी ने अपने आवेदन में यह भी लेख किया है कि विवादित भूमि ख. नं. 407 को विधिवत् विभाजन नहीं हुआ है। जबकि प्रतिवादीगण ने अपने आवेदन में यह लेख किया है कि विवादित भूमि का विभाजन हो चुका है, परंतु किसी भी पक्ष की ओर से बंटवारा संबंधी कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं तथा अभिलेख पर प्रस्तुत राजस्व दस्तावेजों के अवलोकन से वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम पर संयुक्त शामिलाली दर्ज होना प्रकट हो रही है। यद्यपि वादी का यह कहना है कि प्रतिवादी क्र. 01 एवं 02 द्वारा विवादित भूमि का अपने अंश की सीमा से अधिक विक्रय किया गया है, परंतु विवादित भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी के अंश का निर्धारण विधिवत् साक्ष्य उपरांत ही किया जा सकता है। साथ ही विक्रय पत्र की वैधता का निर्धारण भी साक्ष्य उपरांत ही किया जा सकता है। चूंकि विवादित भूमि पर वादी का भी नाम दर्ज है। अतः स्वत्व, घोषणा एवं विभाजन के संबंध में प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में पाया जाता है।

### **विचारणीय प्रश्न क्र. 2 एवं 3 का निराकरण**

9 विवादित भूमि ख.नं. 407 रकबा 1.983 हे. राजस्व दस्तावेजों से वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम पर संयुक्त शामिलाली दर्ज होकर वादी एवं प्रतिवादीगण के सहस्वामित्व की होना प्रकट होती है। अतः ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को विवादित भूमि के उपभोग से वंचित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। परंतु यदि प्रतिवादीगण को विवादित भूमि के अंतरण से निषेधित नहीं किया जात है और यदि वाद लंबन के दौरान विवादित भूमि का विक्रय प्रतिवादीगण के द्वारा कर दिया जाता है तो निश्चित ही वादी को क्रेता को भी पक्षकार बनाना पड़ेगा, जिससे कि वाद बाहुल्यता से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः वादी को निश्चित ही इससे असुविधा होगी और उससे होने वाली क्षति प्रतिवादी की तुलना में अत्याधिक होगी। फलतः वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

10 वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रतिवादीगण को निषेधित किया जाता है कि वह प्रकरण के निराकरण तक विवादित भूमि ख. नं. 407 रकबा 1.983 में से शेष बचे रकबे का विक्रय या अन्यथा अंतरण स्वयं अथवा अन्य किसी के माध्यम से ना करे।

11 आवेदन का निराकरण का प्रकरण के गुण—दोष के आधार पर पारित निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं होगा। आवेदन के निराकरण का व्यय प्रकरण के परिणाम पर निर्भर करेगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर पारित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,  
आमला, जिला बैतूल

(श्रीमती मीना शाह)  
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,  
आमला, जिला बैतूल